भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2210

उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

कक्षाओं में सुधारात्मक न्याय अभ्यास

†2210. **श्री हरीश चंद्र मीनाः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दण्डात्मक दंड उपायों के बदले विद्यालयों में सुधारात्मक न्याय अभ्यासों को प्रोत्साहन देने के लाभों का मानचित्रण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की कक्षाओं में सुधारात्मक न्याय अभ्यासों के उपयोग संबंधी विनियमन को लागू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) **2023** में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि स्कूल में शिक्षकों और वयस्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आयु और जेंडर के छात्रों को शारीरिक अपराधों, हिंसा और यौन अपराधों से बचाया जाए। स्कूल प्रशासन को छात्रों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के शारीरिक दंड की जांच और रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने चाहिए।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए दंडात्मक सजा के उपायों के स्थान पर अपने स्कूलों में सुधारात्मक न्याय प्रथाओं के बढ़ावा देना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का कार्यक्षेत्र में है।

जहां तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों का संबंध है, बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों को परिपत्र जारी कर प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों को व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने और समृद्ध करने के लिए उचित माहौल और वातावरण प्रदान करेगा। भयमुक्त वातावरण में रचनात्मक मानव प्रतिभा का विकास करने के लिए स्कूलों को शिक्षकों को शारीरिक दंड के स्थान पर वैकल्पिक कार्यनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
